न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2019 / 00242 / 223

1. नुरूद्दीन पुत्र अल्लादीन, जाति मुसलमान लौहार, नि0 ग्राम दौलतखेड़ा तहसील पीसांगन, हाल गांधी पार्क के पास, इमाम बाड़ा, मालपुरा, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
2. कमरूद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल गफूर,
3. श्रीमती ऐमना बानो पत्नि अब्दुल गफूर,
   दोनों जाति मुसलमान लौहार, नि0 ग्राम दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल बस स्टेण्ड के पास, इमाम बाड़ा, मालपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।
4. श्रीमती मुमताज पुत्री स्व0 शफी मोहम्मद पत्नि जमील अहमद, जाति मुसलमान लौहार, निवासी ग्राम दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन हाल निवासी 10, काजीपुरा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती शहनाज पुत्री स्व0 शफी मोहम्मद पत्नि मजीद, जाति मुसलमान लौहार, निवासी ग्राम दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन, हाल निवासी राजपूतों बास, चांदियावास, तह0 व जिला अजमेर ।

   (समस्त अपीलांटस जरिये मुख्तयारआम सलीम खान पुत्र रमजान खान, जाति मुसलमान कायमखानी, निवासी मिल रोड़, करबला मार्ग, ब्यावर, जिला अजमेर)

अपीलांटस

बनाम

1. अनवर पुत्र स्व0 घीसा,
2. सत्तार पुत्र स्व0 घीसा,
3. श्रीमती सीता बेवा स्व0 मिश्री,
4. शहाबुद्दीन पुत्र स्व0 मिश्री,
5. लालकी पुत्री स्व0 मिश्री,
6. अली पुत्र स्व0 गनी,
7. छोटू पुत्र स्व0 गनी,
8. अकबर पुत्र स्व0 गनी,
9. भंवरी पुत्री स्व0 गनी,
10. रोशन पुत्री स्व0 गनी,
    समस्त जाति मुसलमान, निवासी दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।
12. उप पंजीयक, पीसांगन ।
13. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीसांगन दिनांक 12.6.2019 अंतर्गत वाद संख्या 50 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पोडेंटस संख्या 1, 2, 6 व 7.
3. रेस्पो0 संख्या 3 से 5, 8 से 10 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 से 13.

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष वाद इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 51 के कुल खसरा नंबरान 25 कुल रकबा 8.89 है0 वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की पुश्तैनी आराजियात है, जिसके खातेदारी काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज मेहताब थे । मेहताब के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार उनके वारिसान दीना व लाला हो गये। उपरोक्त आराजी पर उनका बराबर—बराबर हक व हिस्सा है । दीना के स्वर्गवास के पश्चात् उनके 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार उनके तीन पुत्र घीसा मिश्री व गनी हो गये, जिनका प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6 हो गया । मिश्री व गनी का भी स्वर्गवास हो चुका है । उक्त वादग्रस्त आराजियात आज भी संयुक्त चली आ रही है जिसका आज दिवस तक विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है जिसकी वजह से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर विधिवत् बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 26.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निर्णय दिनांक 12.6.2019 को स्वीकार कर वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने दिनांक 12.6.2019 में अपीलांटस का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने बाबत् जो निष्कर्ष अंकित किया है वह किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण निष्कर्ष नहीं है । मात्र समान पक्षकार होने से वाद खारिज किये जाने बाबत् जो आदेश पारित किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधिपूर्ण नही है । पूर्व वाद में वर्तमान अपीलांटस वादी नही है तथा विधि के किस प्रावधान से वाद विधि बाधित है । इस बाबत् निर्णय में कोई अंकन नहीं है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अधी0न्याया0 ने न तो कोई कारण अंकित किया है कि जिससे वाद में वाद कारण का खुलासा किया गया हो, न ही ऐसा कोई विवेचन है जिससे कि क्लेम किया गया अनुतोष कम मूल्य पर हो, या न्यायालय द्वारा उसे दुरूस्त किये जाने का कोई समय दिया गया हो

तथा न ही अपूर्ण स्टाम्प पर वाद लिखे जाने का कोई आधार है । वादपत्र पर ऐसा कोई अभिवचन भी नहीं था जिससे वाद विधिबाधित होना प्रतीत होता हो। जहां तक समान पक्षकार व खसरे बाबत् वाद लंबित होने का प्रश्न है । उक्त वाद प्रत्यर्थी जो मिश्री के वारिसान है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से संबधित है जबकि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का वाद है । अपीलांटस विवादित आराजियात के खातेदार है जो अपनी भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हे । वादग्रस्त भूमि कृषि भूमियां है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । मात्र मिश्री के वारिसान द्वारा इस भूमि बाबत् घोषणात्मक वाद पूर्व में प्रस्तुत कर देने मात्र से वर्तमान वादीगण का वाद पोषणीय नहीं रहता हो, अधी0न्याया0 का निष्कर्ष विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त विधिक बिन्दुओं को नजरअंदाज कर वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 12.6.2019 निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 पेज 553, आर0बी0जे0 2009 पेज 310, आर0बी0जे0 2011 पेज 76, आर0बी0जे0 2013 पेज 159, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 150 एवं आर0बी0जे0 2016 पेज 637 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 6 व 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादीगण संख्या 1, 2 व 3 के पिता स्व0 अब्दुल गफूर एवं वादी संख्या 4 व 5 के पिता सफी मोहम्मद द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी घीसा व गनी व मिश्री के विरूद्ध वर्तमान वाद में लिप्त कृषि भूमियों बाबत् राजस्व वाद संख्या 15/1972 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश किया था जिसमें प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा विस्तृत जवाब पेश किया गया था । उक्त वाद की सुनवाई के समय वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 5 के पूर्वाधिकारी अब्दुल गफूर व सफी मोहम्मद को कई अवसर प्रदान किये गये जाने के बावजूद उनके द्वारा उक्त वाद में किसी प्रकार की रूचि प्रकट नही किये जाने पर दिनांक 7.4.1975 को उक्त वाद अबेट के आधार पर निरस्त किया गया था । निर्णय दिनांक 7.4.1975 के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट के पूर्वाधिकारी द्वारा कभी कोई चाराजोही नहीं की गई इस कारण उक्त निर्णय अंतिम होकर वादीगण के के विरूद्ध बाध्यकारी होने से विधिक प्रावधानों के तहत वादीगण समान भूमि के लिए समान न्यायालय के समक्ष समान पक्षकारान के विरूद्ध पुनः नवीन वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते है । इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है । बहस में आगे कथन किया कि वादी संख्या 1 व 2 से 5 के पूर्वाधिकारी अब्दुल गफूर व सफी मोहम्मद द्वारा विवादित भूमि में अपना 1/2 हिस्सा दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 20.8.1970 को डिप्टी लैण्ड रिकार्ड आफिसर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में इद्रांज किये जाने हेतु एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.11.1971 को पारित किया था जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी घीसा, गनी व मिश्री को होने पर उनके द्वारा उक्त एकपक्षीय कार्यवाही आदेश दिनांक 10.11.1971 के विरूद्ध अपील संख्या 235/1972 न्यायालय एडनिशल लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, अजमेर के समक्ष पेश की जो बाद में स्थानातंरित होकर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं भू–अभिलेख अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 35/1973 के रूप में दर्ज की गई । उक्त अपील में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 16.4.1975 द्वारा स्वीकार किया जाकर उपखण्ड

अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.11.1971 को निरस्त कर विवादित भूमियों पर प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों का हक, अधिकार व कब्जा काश्त मानते हुए आराजियात प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये है । उक्त आदेश को भी वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा कभी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया गया है । इस कारण से भी वादीगण द्वारा विवादित आराजियात बाबत् प्रस्तुत नवीन वाद धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधि0 में उल्लेखित विबंधन के प्रावधानों से प्रतिबंधित होकर वादपत्र प्रथमदृष्टया विधि वर्जित होने से निरस्त योग्य है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती जैतून का वर्तमान वाद प्रस्तुत किये जाने से 4 वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था इस कारण वादीगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से भी विधि वर्जित है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत कथन किया गया कि वादीगण के पूर्वज सफी मोहम्मद द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी घीसा, गनी व मिश्री के विरूद्ध विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 15/72 न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश किया गया जो कि अबेटमेंट के आधार पर दिनांक 7.4.1975 को निरस्त कर दिया गया जो कि अंतिम निर्णय है। यह भी कथन किया कि वादीगण के पूर्वाधिकारी अब्दुल गफूर व शफी मोहम्मद द्वारा विवादित भूमि में आधा हिस्सा दर्ज करवाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 210.8.1970 को डिप्टी लैण्ड रिकार्ड आफिसर व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश किया एवं एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.11.1971 को पारित करवा लिया । इस आदेश के विरूद्ध घीसा, गनी व मिश्री द्वारा अपील संख्या 235/1972 न्यायालय एडनिशनल लैण्ड रिकार्ड आफिसर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो तद्पोरांत स्थानातंरित होकर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं भू–अभिलेख अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 35/73 के रूप में दर्ज की गई । यह अपील दिनांक 16.4.1975 को स्वीकार कर एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.11.1971 को निरस्त कर दिया गया । यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती जैतून का स्वर्गवास दावा दायरी के पूर्व ही हो चुका है इसलिये मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पूर्व वाद व मौजूदा वाद दोनों अलग–अलग विषयवस्तुत के वाद रहे तथा उसमें पक्षकारान भी अलग–अलग रहे एवं अनुतोष भी अलग–अलग रहे है । यह भी कथन किया कि पूर्व वाद अबेटमेंट के आधार पर निरस्त किया गया है । पूर्व वाद में गुणावगुण पर पक्षकारान के कोई हक, हकूक निर्धारित नहीं किये गये है । इस कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जावे ।

7. आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत न्यायालय को मुख्यत यह देखना होता है कि प्रथमदृष्टया वाद के अवलोकन से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है अथवा नहीं । हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अन्य घटकों के संदर्भ में नहीं है । प्रतिवादीगण का मुख्य कथन यह है कि पूर्व वाद संख्या 15/72 उपशमन के आधार पर निरस्त किया गया है अर्थात् पूर्व वाद का गुणावगुण पर पक्षकारों के हक, हकूक तय किये बिना ही निरस्त हो गया । धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्ववर्ती वाद में समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकारों के मध्य विवाद

बिन्दु का अंतिम रूप से निस्तारित होना आवश्यक है ताकि वर्तमान वाद में पुनः उसी विवाद बिन्दू पर नवीन निर्णय पारित नहीं हो । हस्तगत प्रकरण पर धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते है क्योंकि पूर्ववर्ती वाद में पक्षकारान के कोई हक, हकूक तय किये बिना ही उपशमन के आधार पर वाद निरस्त किया गया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिस वाद संख्या 15/72 एवं अपील संख्या अपील संख्या 235/1972 का उल्लेख किया गया है तथा इसी आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष निर्णय पारित करते समय एक अन्य वाद मिश्री बनाम सरकार वाद संख्या 104/2018 के विचाराधीन होने के तथ्य आने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के निर्णय में विवादित भूमि के संबंध में वाद संख्या 104/2018 विचाराधीन होने के तथ्यों का निर्णय में उल्लेख करते हुए वाद निरस्त किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष तथ्य आने पर अधी0न्याया0 को हस्तगत वाद को वाद संख्या 104/2018 के साथ सम्मिलित कर दोनों वादों में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाये जाते है ।

8. अतः अपील अपीलंटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.6.2019 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वर्तमान वाद को वाद संख्या 104/2018 मिश्री बनाम सरकार के साथ संयोजित कर उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर